भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2619
जिसका उत्तर मंगलवार 01 अगस्त, 2017 को दिया जाना है

सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के पास अतिरिक्त भूमि

2619. श्री राजेशभाई चुड़ासमा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शहरी विकास हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अतिरिक्त भूमि को बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के नोटिसों के अंतर्गत बंद किए गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों हेतु क्या योजना है;

(ग) क्या सरकार की किसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर नीलामी और/या विनिवेश हेतु कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): जहां तक भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) का संबंध है, इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उद्यम ने किसी भी अतिरिक्त भूमि की सूचना नहीं दी है।

हालांकि, बंद किए जाने के लिए स्वीकृत एचएमटी वाचिज लिमिटेड, एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान केबल्स लि., तुंगभद्रा स्टील प्रॉ. लि. तथा इंस्ट्रूमेन्टेशन लि. कोटा नामक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की भूमि का अंतरण/बिक्री के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड को भूमि प्रबंधन एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है।

बंद किए जाने के लिए अनुमोदित एक अन्य कंपनी, एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड को पहले ही संबंधित भूमि पट्टा-विलेख की शर्तों के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को अंतरित कर दिया गया है।

(ग) और (घ): मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा गठित विनिवेश पर सचिवों के मुख्य समूह की सिफारिशों के आधार पर डीएचआई के अधीन सीपीएसई के संबंध में सरकार ने 'सिद्धांततः' निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:-

- ✓ ब्रिज एंड रूफ कंपनी लि., स्कूटर्स इंडिया लि. और भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लि. का 100% विनिवेश।
- ✓ हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड में संबंधित सीपीएसई की 100% शेयरधारिता का कार्यनीतिक क्रेता को दो चरण की नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से विनिवेश।
- ✓ सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की इकाइयों का विनिवेश वहां किया जाएगा, जहां दो चरण की नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से कार्यनीतिक क्रेता को किया जाना कानूनी रूप से अनुमत्य हो।
- ✓ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. का विलय इसके जैसे सीपीएसई के साथ किया जाना।

*****